

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा, जिला हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी :- श्री ओ.पी. चन्देलिया आर.ए.एस.

मु0न0 - 23/2024

अनवान :-

1. अमित कुमार पुत्र सुरेन्द्र कुमार जाति जाट निवासी मलखेड़ा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़

वादी

बनाम

1. सुरेन्द्र कुमार पुत्र श्री रामपत जाति जाट निवासी मलखेड़ा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
2. सुमित कुमार पुत्र सुरेन्द्र कुमार जाति जाट निवासी मलेखड़ा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार भादरा।
4. कमलेश पत्नी सुरेन्द्र कुमार जाति जाट निवासी मलखेड़ा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़

प्रतिवादीगण

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान कास्तकारी
अधिनियम

उपस्थिति :- श्री धर्मपाल बैरवाल वादीगण
श्री हरदत्त रूईल प्रतिवादीगण

निर्णय


दिनांक:

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा चक 16 ए एम एस के खाता संख्या 2/170 के मु0न0 16 के किला नं0 8/1, 8/2, 9/1, 9/2, 10/1, 10/2, 11, 12, 19 ता 22, मु0न0 17 के किला नं0 6 ता 9, 12 ता 18, 23 ता 25, मु0न0 18 के किला नं0 4 ता 8, 13 ता 18, 24, 25, मु0न0 19 के किला नं0 1, 10, मु0न0 26 के किला नं0 23, 24 कुल किता 43 की 10.120 है जिसमें से नहरी 10.069 है, गै0मु0 रास्ता 0.051 है राजस्व रिकॉर्ड में खातेदारी दर्ज है। जिसमें से सुरेन्द्र पुत्र रामपत 19/40 हिस्सा राजस्व रिकॉर्ड में खातेदारी दर्ज है तथा चक 16 ए एम एस के खाता संख्या 236/203 के मु0न0 10 के किला नं0 1/1, 1/2, 2/1, 2/2, 9 ता 12, 19, 20/1, 20/2, 21/1, 21/2, 22 कुल किता 14 की 2.530 है जिसमें से नहरी 2.4300 है गै0मु0 रास्ता 0.100 है राजस्व रिकॉर्ड में शामिल खातेदारी दर्ज है। जिसमें से सुरेन्द्र पुत्र रामपत 1/2 हिस्सा राजस्व रिकॉर्ड में खातेदारी दर्ज है।

वादी व प्रतिवादीगण हिन्दू है तथा हिन्दू विधि व रिति-रिवाज से शासित है। वाद भूमि पहले वादी के दादा रामपत की खातेदारी हुआ करती थी। प्रतिवादी सं0 1 कर्ता खानदान होने के कारण तन्हा अपने नाम दर्ज करवा ली। वाद भूमि में वादी तथा प्रतिवादी सं0 1, 2 का जन्म से हक हिस्सा निहित है। अतः वादी अपने हिस्से की भूमि अपने नाम दर्ज करवा पाने का कानूनी अधिकारी है। यह ही बिनाय मुखास्मत है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामिल होने के उपरान्त वादी व प्रतिवादी सं0 1, 2 ने आपसी सहमती से राजीनामा व प्रतिवादी संख्या 4 कमलेश ने इकबाल जबाब दावा पेश किया जो बाद तस्दीक शामिल पत्रावली किया।

साक्ष्य वादी में वादी अमित कुमार के द्वारा साक्ष्य करवाये गये। जिसमें वर्तमान जमाबंदी के साथ साथ पैतृक जमाबंदी व वारिस प्रमाण पत्र तस्दीक करवाये गये।


उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
जिला-हनुमानगढ़



बहस वकील उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने निवेदन किया मुताबिक राजीनामा वाद वादी डीकी किया जावे जिस पर वकील प्रतिवादी ने सहमती कट की।

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। प्रस्तुत प्रकरण में वादीगण ने चक 16 ए एम एस के खाता संख्या 2/170 के मु0न0 16 के किला नं0 8/1, 8/2, 9/1, 9/2, 10/1, 10/2, 11, 12, 19 ता 22, मु0न0 17 के किला नं0 6 ता 9, 12 ता 18, 23 ता 25, मु0न0 18 के किला नं0 4 ता 8, 13 ता 18, 24, 25, मु0न0 19 के किला नं0 1, 10, मु0न0 26 के किला नं0 23, 24 कुल किता 43 की 10.120है0 जिसमें से नहरी 10.069है0, गै0मु0 रास्ता 0.051है0 राजस्व रिकॉर्ड में खातेदारी दर्ज है। जिसमें से सुरेन्द्र पुत्र रामपत 19/40 हिस्सा राजस्व रिकॉर्ड में खातेदारी दर्ज है तथा चक 16 ए एम एस के खाता संख्या 236/203 के मु0न0 10 के किला नं0 1/1, 1/2, 2/1, 2/2, 9 ता 12, 19, 20/1, 20/2, 21/1, 21/2, 22 कुल किता 14 की 2.530है जिसमें से नहरी 2.4300है0 गै0मु0 रास्ता 0.100है0 राजस्व रिकॉर्ड में शामिल खातेदारी दर्ज है। जिसमें से सुरेन्द्र पुत्र रामपत 1/2 हिस्सा राजस्व रिकॉर्ड में खातेदारी दर्ज है। जो प्रस्तुत दस्तावेजात से पैतृक कृषि भूमि होना साबित है। प्रतिवादी संख्या 4 कमलेश द्वारा इकबाल जबाब दावा पेश कर डिक्री मुताबिक अर्जीदावा किया जाने का निवेदन किया है। अतः वाद वादी मुताबिक राजीनामा डीकी योग्य होने के कारण स्वीकार योग्य होने के कारण स्वीकार किया जाता है।

अतः वाद वादीगण मुताबिक राजीनामा स्वीकार किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मोजा चक 16 ए एम एस के खाता संख्या 2/170 के मु0न0 16 के किला नं0 8/1, 8/2, 9/1, 9/2, 10/1, 10/2, 11, 12, 19 ता 22, मु0न0 17 के किला नं0 6 ता 9, 12 ता 18, 23 ता 25, मु0न0 18 के किला नं0 4 ता 8, 13 ता 18, 24, 25, मु0न0 19 के किला नं0 1, 10, मु0न0 26 के किला नं0 23, 24 कुल किता 43 की 10.120है0 जिसमें से नहरी 10.069है0, गै0मु0 रास्ता 0.051है0 राजस्व रिकॉर्ड में खातेदारी दर्ज है। जिसमें से सुरेन्द्र पुत्र रामपत 19/40 हिस्सा राजस्व रिकॉर्ड में खातेदारी दर्ज है तथा चक 16 ए एम एस के खाता संख्या 236/203 के मु0न0 10 के किला नं0 1/1, 1/2, 2/1, 2/2, 9 ता 12, 19, 20/1, 20/2, 21/1, 21/2, 22 कुल किता 14 की 2.530है जिसमें से नहरी 2.4300है0 गै0मु0 रास्ता 0.100है0 राजस्व रिकॉर्ड में शामिल खातेदारी दर्ज है। जिसमें से सुरेन्द्र पुत्र रामपत 1/2 हिस्सा राजस्व रिकॉर्ड में खातेदारी दर्ज है में तन्हा प्रतिवादी सं0 1 सुरेन्द्र कुमार की बजाय वादी अमित कुमार प्रतिवादी सं0 1 सुरेन्द्र कुमार व प्रतिवादी सं0 2 सुमित कुमार को बहिस्सा बराबर के अनुसार खातेदार काशतकार घोषित किये जाते है। जमाबंदी में दर्ज गै0मु0 खाला-नाला व भूमि की किस्म को यथावत् रखा जावे। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन कर रिकार्ड दुरुस्त किया जावे। यदि कृषि भूमि रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरांत उपरोक्तानुसार राजस्व में अमल दरामद किया जाकर रिकार्ड दुरुस्त किया जावे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करें। पर्चा डीकी जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 23-08-24 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(ओ.पी. चन्देलिया)
23-08-24

R.A.S
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा जिला हनुमानगढ़

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा, जिला हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी :- श्री ओ.पी.चन्देलिया आर.ए.एस.

मु०न० - 23/2024

अनवान :-

1. अमित कुमार पुत्र सुरेन्द्र कुमार जाति जाट निवासी मलखेड़ा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़

वादी

बनाम

1. सुरेन्द्र कुमार पुत्र श्री रामपत जाति जाट निवासी मलखेड़ा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
2. सुमित कुमार पुत्र सुरेन्द्र कुमार जाति जाट निवासी मलखेड़ा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार भादरा।
4. कमलेश पत्नी सुरेन्द्र कुमार जाति जाट निवासी मलखेड़ा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़

प्रतिवादीगण

आज यह वाद मुझ ओ.पी. चन्देलिया उपखण्ड अधिकारी भादरा के समक्ष वकील वादी श्री धर्मपाल बैरवाल व वकील प्रतिवादीगण श्री हरदत्त रूईल की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मोजा चक 16 ए एम एस के खाता संख्या 2/170 के मु०न० 16 के किला नं० 8/1, 8/2, 9/1, 9/2, 10/1, 10/2, 11, 12, 19 ता 22, मु०न० 17 के किला नं० 6 ता 9, 12 ता 18, 23 ता 25, मु०न० 18 के किला नं० 4 ता 8, 13 ता 18, 24, 25, मु०न० 19 के किला नं० 1, 10, मु०न० 26 के किला नं० 23, 24 कुल किता 43 की 10.120है० जिसमें से नहरी 10.069है०, गै०मु० रास्ता 0.051है० राजस्व रिकॉर्ड में खातेदारी दर्ज है। जिसमें से सुरेन्द्र पुत्र रामपत 19/40 हिस्सा राजस्व रिकॉर्ड में खातेदारी दर्ज है तथा चक 16 ए एम एस के खाता संख्या 236/203 के मु०न० 10 के किला नं० 1/1, 1/2, 2/1, 2/2, 9 ता 12, 19, 20/1, 20/2, 21/1, 21/2, 22 कुल किता 14 की 2.530है० जिसमें से नहरी 2.4300है० गै०मु० रास्ता 0.100है० राजस्व रिकॉर्ड में शामिल खातेदारी दर्ज है। जिसमें से सुरेन्द्र पुत्र रामपत 1/2 हिस्सा राजस्व रिकॉर्ड में खातेदारी दर्ज है में तन्हा प्रतिवादी सं० 1 सुरेन्द्र कुमार की बजाय वादी अमित कुमार प्रतिवादी सं० 1 सुरेन्द्र कुमार व प्रतिवादी सं० 2 सुमित कुमार को बहिस्सा बराबर के अनुसार खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते हैं। जमाबंदी में दर्ज गै०मु० खाला-नाला व भूमि की किस्म को यथावत् रखा जावे। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन कर रिकार्ड दुरुस्त किया जावे। यदि कृषि भूमि रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरांत उपरोक्तानुसार राजस्व में अमल दरामद किया जाकर रिकार्ड दुरुस्त किया जावे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करें।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 23-08-24 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।



(ओ.पी. चन्देलिया)

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) R.A.S

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)

भादरा जिला हनुमानगढ़

